भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>सीबीडीटी द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में 219 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर</u>

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 219 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) किए हैं। इसमें एकपक्षीय एपीए (यूएपीए) और द्विपक्षीय एपीए (बीएपीए) दोनों शामिल हैं। इसके साथ, एपीए कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक किए गए एपीए की कुल संख्या 1000 का आँकड़ा पार कर 1034 हो गई है, जिसमें 750 यूएपीए और 284 बीएपीए शामिल हैं।

इस वर्ष, सीबीडीटी ने एपीए कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक एपीए हस्ताक्षर का रिकॉर्ड फिर से बनाया है जिसमें कुल 219 एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष सीबीडीटी ने 84 बीएपीए पर भी हस्ताक्षर किए, जो वित्त वर्ष 2024-25 में हस्ताक्षरित 65 बीएपीए के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यह बीएपीए भारत के 13 संधि भागीदार देशों अर्थात् अमेरिका, फिनलैंड, यूके, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, इंडोनेशिया, आयरलैंड और न्यूज़ीलैंड–के साथ आपसी समझौते करने के उपरांत हस्ताक्षरित किए गए। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष फ्रांस, आयरलैंड, इंडोनेशिया और स्वीडन के साथ भारत के प्रथम द्विपक्षीय एपीए हस्ताक्षरित किए जाने की उपलब्धि भी हासिल हुई। सीबीडीटी लगातार बड़ी संख्या में एपीए हस्ताक्षरित करता रहा है जहां पिछले वित्तीय वर्ष में 174 एपीए और उससे पहले के वर्ष में 125 एपीए पूर्ण किए गए थे।

सेफ हॉर्बर नियम, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) ढाँचे के पूरक के रूप में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण निश्चितता प्राप्त करने का एक तीव्र और कम लागत वाला विकल्प प्रदान करता हैं। 2013 में प्रारंभ सेफ हॉर्बर ढांचा अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए निश्चित मार्जिन निर्धारित करता हैं। यह व्यवस्था वर्तमान में बारह लेनदेन श्रेणियों में विस्तारित है, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएँ, केपीओ, अनुबंध अनुसंधान एवं विकास, अंतर-समूह वित्तपोषण, गारंटी, ऑटो पुर्जे, कम मूल्य-वर्धन सेवाएँ और हीरा उद्योग में कुछ विशेष लेनदेन शामिल हैं।

वित्त अधिनियम 2026 के माध्यम से सेफ हॉर्बर नियमों में महत्वपूर्ण संवर्धन किए गए हैं। विभिन्न प्रौद्योगिकी सेवा खंडों को एकीकृत कर एकल "सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ" श्रेणी के अंतर्गत लाया गया है, जिसमें एकसमान 15.5% मार्जिन निर्धारित किया गया है। पात्रता सीमा को रू. 300 करोड़ से बढ़ाकर रू. 2000 करोड़ किया गया है। इन संशोधनों से एक अधिक प्रणाली-आधारित और स्वचालित ढाँचे की भी शुरूआत हुई है, जिससे विस्तृत संवीक्षा और प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होगी।

एपीए योजना, सेफ हॉर्बर नियमों के साथ मिलकर, का उद्देश्य मूल्य निर्धारण को निर्दिष्ट करते हुए हस्तांतरण मूल्यनिर्धारण और पहले से पांच वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की असन्निकट कीमत के निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करना है। बीएपीए, संभावित या वास्तविक दोहरे कराधान से सुरक्षा का अतिरिक्त लाभ भी देता है। सीबीडीटी करदाताओं की सहयोगात्मक भावना को मानता है और एपीए कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को प्रमुख हितधारकों के रूप में महत्व देता है।

(वी. राजिता)
आयकर आयुक्त
(मीडिया एवं तकनीकी नीति) व
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी